


कार्यालय ज्ञापन

विषय : अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 1.04.2015 से 30.09.2015 की अवधि तक खाद्यान्नों के आवंटन (गेहूँ/चावल) के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के का० ज्ञा० संख्या जे-11019/1/2015-16-अन्नपूर्णा दिनांक 31 जुलाई, 2015 का हवाला देने तथा अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 1.4.2015 से 30.09.2015 की अवधि तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर 48741.420 टन खाद्यान्नों जिसमें 10497.600 टन गेहूँ तथा 38243.820 टन चावल शामिल है, के आवंटन के संबंध में इस विभाग का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है। यह भी सूचित किया जाता है कि अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अक्टूबर, 2015 से खाद्यान्न का आवंटन आर्थिक लागत पर किया जाएगा।

2. खाद्यान्नों की लागत जमा करने तथा उठान की वैधता अवधि 30.9.2015 तक होगी।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन की सूचना भी यथासमय प्रेषित करे तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित वैधता अवधि के भीतर खाद्यान्नों का उठान सुनिश्चित करे।
4. भारतीय खाद्य निगम, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2015-16 के लिए राज्य-वार मासिक आबंटन के अनुसार गेहूँ और चावल जारी करेगा।
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वह वर्ष 2014-15 के लिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित खाद्यान्नों के संबंध में संबंधित उप सचिव/निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित जीएफआर-19 ए प्रारूप में प्रस्तुत करें।
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि इस स्कीम के अंतर्गत उसके द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्यान्नों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण भुगतान किया जाए तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उसे यथा समय उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाए।


(असित हलदर)

अवर सचिव, अवर सचिव
दूरभाष: 23382504

सेवा में,

उप सचिव (एन.एस.ए.पी)

(श्रीमति रेखा चौहान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ब्लॉक संख्या 11, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-3

सूचनार्थ प्रति:

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी संबंधित खाद्य सचिव - इस अनुरोध के साथ की अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत का खाद्यान्न आवंटन का अनुरोध सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।